न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 22.08.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री लाखाराम साहू
2. रेस्पोडेंटस संख्या 02 व 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री धन्नाराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस के पक्ष में अपीलाधीन आराजी का बेचान वादी/उतरदाता से पहले हो रखा उसके बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। श्रीमान न्यायालय को हस्तगत प्रकरण का 02 माह में अंतिम निस्तारण करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है जिसकी प्रति पेश की गई। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस पेश अपील को स्वीकार फरमाया जाता है तो हमे कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/टीए/1808/2023/बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 की प्रति पेश की जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि "उभयपक्ष को सुनकर 2 माह की अवधि में अन्तिम निस्तारण किए जाने बाबत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाना समीचीन है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश वादीनी/उत्तरदाता संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया। वादीनी वगै. ने अपीलाधीन आराजी में से 3/5 हिस्से की भूमि दिनांक 24.11.2022 को क्रय की जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक दिनांक 23.11.2022 भूमि क्रय की उसके बावजूद भी अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद एवं आवेदन में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रजिस्टर्ड बेचान से क्रेता खातेदार है इसलिए न्यायहित में अपीलांटस का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मूल वाद में पक्षकार संयोजित होने के लिए अपीलांटस मातहत अदालत में चाराजोही करे। अपीलांटस के पक्ष में मौजा धनाउ तहसील धनाउ के खसरा संख्या 479 रकबा 1.4326 हैक्टयर भूमि में से 2/5 हिस्से का बेचान दिनांक 23.11.2022 को हो रखा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में पालना की जाती उससे पहले अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व आवेदन संख्या 64/2022 बअनवान छताबाई बनाम मोहम्मदरहीम वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 को संशोधित करते हुए अपीलांटस अनिलकुमार के पक्ष में हो रखे बेचान के अनुसार नियमानुसार नामांतकरण भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा शेष स्थगन आदेश मूल दावे के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 22.08.2023 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर